Day. (1)

R.M.M. Law Callege
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time. Lecturer
Sub. Evidence

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना

59 की व्याख्या करती है कि दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय अन्य सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य से साबित किये जा सकते हैं। मौखिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 में दी गई है जो कथन साक्षी न्यायालय के समक्ष न्यायिक तथ्यों के विषय में करते हैं वे मौखिक साक्ष्य की कोटि में आते हैं। इस धारा के मुताबिक कोई मौखिक साक्ष्य दस्तावेज के अन्तर्गत बनाया होता उसके सिवाय में कथन की आवश्यकता नहीं रहती और कथन की अभिकथित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ताकि जब दस्तावेज अपने आप में साक्ष्य है और [illegible] मानी जाती है [illegible] उपलब्ध न होती प्राथमिक प्रतिलिपि यह कहता है कि साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि मौखिक साक्ष्य अन्तर्वस्तु साबित करने के लिए अनुमति देता है।

जैसे के लिए अनुमति [illegible] कुछ वचनों को मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य साबित भी किया जाता है किन्तु जब के बिना पर्याप्त होता है किन्तु जब के बिना परस्पर विरोधी होते मौखिक साक्ष्य [illegible] हो तो व्यक्तियों अतः विश्वसनीयता न [illegible] के कार्यों को उनके कथन की प्रतीक में सबूत है।

Scanned with CamScanner

अधिक महत्व मिलना चाहिए क्योंकि गवाहों के सम्बन्ध में भ्रम आसानी से हो सकता है और उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। किसी साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो वह अपने विचारों को किसी अन्य प्रकार से व्यक्त कर सकता है जिससे के समक्ष के आ सके। वह अपने विचार लिखकर भी दे सकता है, न्यायालय के जो वह लिखकर देगा वह भी ध्यान में दिलानी होगी। साक्ष्य अधि० 119)

एक मृणात्मक स्त्री से अपने होश हवास में थी किन्तु बोलने असमर्थ थी असमर्थ थी यह प्रश्न किया गया कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने उसको चोट पहुंचायी थी? और उसने यह भी कहा कि यदि ऐसा हो तो वह प्रश्न पूछने वाले के हाथ को दबा दे। उसने हाथ दबाना ग्राह्य साक्ष्य माने गए।"

सामान्यतः दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा मौखिक साक्ष्य कम सन्तोषप्रद होता है और कुछ न्यायालयों ने इस विषय पर यदा कदा मत व्यक्त किए हैं। किन्तु मौखिक साक्ष्य कैसा भी क्यों न हो बिना उसके न्याय प्रशासन का कार्य चल नहीं जा सकता यदि मौखिक साक्ष्य ऐसा न हो जिस पर विश्वास न किया जाय तो उसकी जाएँ, सावधानी से ही

परिस्थिति और समाचार बनती हैं।
इस परीक्षण करना आवश्यक माना गया है।

यह सिद्धान्त कि साक्षी का कथन एक विशिष्ट भाग कि असत्य पाया जाता तो उसका समस्त कथन असत्य माना जायेगा। क्योंकि अधिकांश गवाही में सत्य और असत्यता भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति मे सारी गवाही को झूठी मानी जायेगी) बहुत साक्ष्य में कुछ न कुछ बनावट रहती ही है। ऐसा बहुत बार देखा है कि कोई साक्षी महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोला है और प्यार के लालच में ऐसा होता रहा है। किसी महत्वपूर्ण विषय में साक्षी झूठ बोलता है तो उस बाद महत्वपूर्ण भाग अप्रासंगिक माना जायेगा।

विवाद के तथ्य को न्यायालय में साबित करने के लिये प्रत्येक वादी निमंत्रण कार्ड या एक साथ खींची गई हो तो सारे सबूत न्यायालय के सामने पेश होनी चाहिए। ताकि एक मुकम्मल वाद का फैसला न्यायिक हो सके।